न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 45/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मृतक ईमाराम उर्फ उम्मेदराम उर्फ अमेदराम पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी सरदारपुरा के कायम मुकाम– चम्पादेवी पत्नि ईमाराम		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
1/1 राजेश कुमार उर्फ राजु		
1/2 लक्ष्मण गुर्जर पुत्रान ईमाराम		
1/3 गुड्डीदेवी पुत्री ईमाराम जातियान गुर्जर		
1/4 निवासीगण सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 15/09/22

<u>–: निर्णय :–</u>

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारपुरा, प0ह0 मण्डला, भू–अभिलेख निरी0 अटबड़ा के वर्तमान खाता संख्या 15 के खसरा नंबर 100 रकबा 4.0200 है0 कृषि भूमि में वादीगण के पति/पिता उमेदराम उर्फ ईमाराम पुत्र घीसाराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त का आता है, एवं खाता संख्या 473/1, 473/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8900 है, तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू–अभिलेख निरीक्षक अटबडा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 24 के वर्तमान खसरा नंबर 311/2 रकबा 1.8100 है, भूमि स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता अमेदराम उर्फ ईमाराम पुत्र घीसाराम के खातेदारी हक हकुक कब्जा काश्त की आती है। वादीगण के पिता अनपढ थे। वादीगण के पति/पिता को गांव में ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम तीनो नाम से जानते पहचानते पुकारते थे, इसलिये वादीगण के पति/पिता की उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम के नाम से दर्ज है। वादीगण के पति/पिता के आवश्यक दस्तावेजो में ईमाराम पुत्र घीसाराम का नाम दर्ज है। ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम के नाम से एक ही व्यक्ति वादीगण के पति/पिता थे, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति परिवार व गांव में उक्त वल्दीयत का नही है। वादीगण के पति/पिता ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम के नाम से घर गांव समाज में जाना, पहचाना पुकारा जाता था। वादीगण के पति/पिता के नाम से ग्राम सरदारपुरा में पहचान पत्र ईमाराम पुत्र घीसाराम के नाम से दर्ज है तथा वादीगण के पति/पिता परिवारकार्ड, बैंक डायरी,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मृत्यु प्रमाण पत्र में ईमाराम दर्ज है व अन्य राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम
ईमाराम पुत्र घीसाराम दर्ज है। उपरोक्तानुसार दस्तावेज की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न पेश
है। वादीगण के पति/पिता ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम के नाम से घर गांव समाज में जाने
पहचाने पुकारे जाने बाबत ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा सत्यापन बाबत जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.
05.2019 में भी वादीगण के पति/पिता ईमाराम, उम्मेदराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम नाम का
एक ही व्यक्ति होना अंकित व सत्यापित है। वाद पत्र के साथ ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न पेश है तथा उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमि के राजस्व रिकॉर्ड
में वादीगण के पति/पिता का नाम ईमाराम पुत्र घीसाराम दर्ज है, जिस राजस्व रिकॉर्ड की
जमाबन्दी संलग्न पेश है। वादीगण के पति/पिता की मृत्यु दिनांक 29.05.2018 को ग्राम
सरदारपुरा में हो चुकी है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र में ईमाराम पुत्र घीसाराम के नाम से जन्म मृत्यु
रजिस्टार ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर 08118005990010000022/2016 दिनांक
06.06.2016 का जारीसुदा है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता
का नाम ईमाराम के स्थान पर उम्मेदराम व अमेदराम दर्ज होने से वादीगण को नामान्तरण दर्ज
करवाने, सरकारी योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने, किसान कार्ड बनाने व अन्य
प्रकार से उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण आदि करने में भारी परेशानी व कठिनाई असुविधा हो रही
है। इस कारण उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपने पति/पिता का नाम उम्मेदराम व अमेदराम
के स्थान पर ईमाराम दर्ज करवाने हेतु घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने
के अधिकारी है। अतएव यह वाद घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में दुरस्त का प्रस्तुत है। वादीया
चम्पादेवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज
करवाने हेतु पटवारी हल्का मण्डला, खोखरा से सम्पर्क किया, तब मालुम चला कि उक्त कृषि
भूमि में वादीगण के पति/पिता का नाम ईमाराम के बजाय उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम
पुत्र घीसाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। तब वादीया ने दिनांक 01.10.2018 को
राजस्व रेकर्ड की नकले तहसील कार्यालय सोजत से प्राप्त की। इस कारण वादीगण ने घोषणा
एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है, जो अन्दर म्याद है। प्रतिवादी राज्य सरकार का
प्रतिनिधि है, राज्य सरकार के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना
आवश्यक है। चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण पेश करना आवश्यक है।
इसलिये धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ अलग से पेश है। उक्त कृषि
भूमि ग्राम सरदारपुरा व खोखरा में स्थित होने से न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार
प्राप्त है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात
पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि
सरहद मौजा सरदारपुरा, प0ह0 मण्डला, भू–अभिलेख निरी0 अटबड़ा के वर्तमान खाता संख्या 15
के खसरा नंबर 100 रकबा 4.0200 है0 एवं खाता संख्या 05 के खसरा नंबर 473/1, 473/3
कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8900 है, तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा,
भू–अभिलेख निरीक्षक अटबडा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 24 के वर्तमान खसरा
नंबर 311/2 रकबा 1.8100 है, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर ईमाराम पुत्र घीसाराम का नाम घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सरदारपुरा, खोखरा में होना स्वीकार किया है। पैरा संख्या 02 से 06 वादीगण द्वारा स्वयं सिद्ध किये जाने व पैरा संख्या संख्या 07 कानूनी होना अंकित किया है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से तथा प्रस्तुत जबाब दावा में वर्णित तथ्यो से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अधिवक्ता वादी ने वादीया चम्पादेवी के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात क्रमशः खसरा नंबर 100 की प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–1, खाता संख्या 05 की प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–2, खाता संख्या 24 की प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–3, जिसमें ईमाराम पुत्र घीसाराम दर्ज है, खाता संख्या 11 की प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–4, ग्राम खोखरा के खाता संख्या 24 प्रदर्श–5 की प्रमाणित जमाबंदी जिसमें उम्मेदराम पुत्र घीसाराम दर्ज है, ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 है जिसमें उम्मेदराम, ईमाराम व अमेदराम एक ही व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। , ईमाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–7, ईमाराम के पुत्र लक्ष्मण का आधार कार्ड प्रदर्श–8, ईमाराम की पुत्री गुडी का आधार कार्ड प्रदर्श–9, चम्पादेवी का आधार कार्ड प्रदर्श–10, ईमाराम के पुत्र राजेश का आधार कार्ड प्रदर्श– 11, चम्पादेवी का पहचान पत्र व राशनकार्ड प्रदर्श–14व 12, चम्पादेवी के पति का आधारकार्ड प्रदर्श –13 है आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए, सामिल मिसल है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा सरदारपुरा, प0ह0 मण्डला, भू–अभिलेख निरी0 अटबड़ा के वर्तमान खाता संख्या 15 के खसरा नंबर 100 रकबा 4.0200 है0 एवं खाता संख्या 05 के खसरा नंबर 473/1, 473/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8900 है, तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू–अभिलेख निरीक्षक अटबडा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 24 के वर्तमान खसरा नंबर 311/2 रकबा 1.8100 है, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित न कर वादीगण के पति/पिता का नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम दर्ज कर दिया, जिसे वादी पुनः रेकर्ड दुरूस्त करवा कर ईमाराम पुत्र घीसाराम करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर ईमाराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों व प्रदर्शित दस्तावेजों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर ईमाराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरदारपुरा, प0ह0 मण्डला, भू–अभिलेख निरी0 अटबड़ा के वर्तमान खाता संख्या 15 के खसरा नंबर 100 रकबा 4.0200 है0 एवं खाता संख्या 05 के खसरा नंबर 473/1, 473/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8900 है, तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू–अभिलेख निरीक्षक अटबडा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 24 के वर्तमान खसरा नंबर 311/2 रकबा 1.8100 है, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर ईमाराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण		बनाम		प्रतिवादी
1.	मृतक ईमाराम उर्फ उम्मेदराम उर्फ अमेदराम पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी सरदारपुरा के कायम मुकाम– चम्पादेवी पत्नि ईमाराम		1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
1/1	राजेश कुमार उर्फ राजु			
1/2	लक्ष्मण गुर्जर पुत्रान ईमाराम			
1/3	गुड्डीदेवी पुत्री ईमाराम जातियान गुर्जर			
1/4	निवासीगण सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।			

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 45/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री विनोद वैष्णव तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सरदारपुरा, प0ह0 मण्डला, भू–अभिलेख निरी0 अटबड़ा के वर्तमान खाता संख्या 15 के खसरा नंबर 100 रकबा 4.0200 है0 एवं खाता संख्या 05 के खसरा नंबर 473/1, 473/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8900 है, तथा सरहद मौजा ग्राम खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू–अभिलेख निरीक्षक अटबडा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 24 के वर्तमान खसरा नंबर 311/2 रकबा 1.8100 है, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम उम्मेदराम पुत्र घीसाराम व अमेदराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर ईमाराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/03/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.